भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2455

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बढ़ते ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स क्षेत्र का प्रभाव

2455. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे खुदरा व्यापारियों और पारंपरिक किराना स्टोरों पर विशेषकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ई-कॉमर्स और क्लिक-कॉमर्स क्षेत्र के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के विस्तार के कारण छोटे खुदरा व्यापारियों को बाजार हिस्सेदारी, राजस्व अथवा व्यावसायिक हानि के संबंध में आंकड़ों सहित मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे खुदरा व्यापारियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली अपहरक मूल्य निर्धारण, थोक क्रय लाभ अथवा अनन्य आपूर्तिकर्ता गठजोड़ जैसी प्रथाओं की पहचान की है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार छोटे खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक किराना स्टोरों के हितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण के खिलाफ कार्रवाई करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमों, नियमों और नीतियों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी ई-कॉमर्स को और अधिक समावेशी बनाता है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, विशिष्ट प्लेटफॉर्म केंद्रित नीतियों द्वारा शासित होने के बजाय किसी भी ओएनडीसी सक्षम एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें नेटवर्क पर खोजने और व्यवसाय करने के लिए कई विकल्प प्रदान

करता है। यह छोटे खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक किराना स्टोरों द्वारा डिजिटल साधनों को आसानी से अपनाने को भी प्रोत्साहित करता है, जो वर्तमान में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर नहीं हैं।

(ग) और (घ) : ई-कॉमर्स क्षेत्र एक व्यापक विधायी ढांचे के अंतर्गत शासित होता है। ई-कामर्स क्षेत्र पर लागू कुछ अधिनियम हैं- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; कंपनी अधिनियम, 2013; प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 आदि। एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी कुछ प्रावधान शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किसी प्रमुख उद्यम या समूह द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण मूल्य (अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण सहित) लागू करने का निषेध किया है। यह समान अवसर सुनिश्चित करता है और प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करता है। ई-कामर्स के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण जैसे कि अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण, थोक में खरीद के लाभ या अनन्य आपूर्तिकर्ता गठजोड़ के आरोप संबंधी सूचनाओं की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक द्वारा की गई है।

*****